ज्ञापांक 2181 / एक्स0पी0
एक्स0एफ0–02–2017

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 19/9/ 2018

सेवा में,

सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
सभी क्षेत्रीय पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (जिला/रेल), बिहार।
सभी समादेष्टा (पटना स्थित बि0सै0पु0 को छोड़कर)।

विषयः– **बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के पी0ए0आर0 आलेखन हेतु ई–फाईलिंग/SPARROW System से संबंधित प्रशिक्षण के संबंध में।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना द्वारा बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का पी0ए0आर0 आलेखन SPARROW System के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा दिनांक **26.09.2018 को 11.00 बजे से 01.00 बजे तक एवं दिनांक 27.09.2018** को **समय 02.00 बजे से 04.00 बजे अपराह्न** तक विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः निदेशित किया जाता है कि अपने जिला/इकाई में पदस्थापित बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को दो भागों में बाँटकर आधे पदाधिकारी को दिनांक **26.09.2018** एवं आधे पदाधिकारी को दिनांक **27.09.2018** को जिला एन0आई0सी0 केन्द्र में ससमय प्रशिक्षण हेतु निदेशित किया जाय। जिन कार्यालय/इकाई में उक्त सेवा के केवल एक पदाधिकारी उपलब्ध हैं उन्हें दिनांक–26.09.2018 को प्रशिक्षण में उपस्थित होने का निर्देश निर्गत किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

19.9.18

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Scanned by CamScanner